

राजस्थान राजपत्र विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary

साअधिकार प्रकाशित

Published by Authority

श्रावण 25 शुक्रवार, शाके 1941-अगस्त 16, 2019 Sravana, 25 Friday, Saka 1941-August 16, 2019

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम। विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग (ग्रुप-2) अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 14, 2019

संख्या प.2(13)विधि/2/2019.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमित दिनांक 14 अगस्त, 2019 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 17)

(राज्यपाल महोदय की अनुमित दिनांक 14 अगस्त, 2019 को प्राप्त हुई) विश्वविदयालयों की विधियों को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।
 - (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
 - 2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) "विश्वविद्यालय की विधि" से अनुसूची में विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय अधिनियम अभिप्रेत है; और
 - (ख) "अनुसूची" से इस अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत है।
- 3. विश्वविद्यालयों की विधियों का संशोधन.- (i) अनुसूची के स्तम्भ सं. 2 में यथा उल्लिखित प्रत्येक विश्वविद्यालय की विधि के सामने स्तम्भ सं. 4 में यथा उल्लिखित धारा की विद्यमान उप-धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-
- "(2) कोई भी व्यक्ति, कुलपित के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में आचार्य के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का अन्भव रखने वाला या किसी प्रतिष्ठित शोध और/या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में किसी समकक्ष

पद पर दस वर्ष का अनुभव रखने वाला और सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिक आचार और संस्थानिक प्रतिबद्धता के उच्चतम स्तर वाला कोई प्रख्यात शिक्षाविद् न हो।"; और

(ii) अनुसूची के स्तम्भ सं. 2 में यथा उल्लिखित प्रत्येक विश्वविद्यालय की विधि के सामने स्तम्भ सं. 4 में यथा उल्लिखित विद्यमान धारा के पश्चात्, स्तम्भ सं. 5 में यथा उल्लिखित नयी धारा अंतः स्थापित की जायेगी, अर्थात:-

"कुलपित का हटाया जाना.- (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार की रिपोर्ट पर या अन्यथा यदि किसी भी समय, कुलाधिपित की राय में, कुलपित इस अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन करने में जानबूझकर लोप या इंकार करता है या उसमें निहित शिक्तयों का दुरुपयोग करता है, या यदि कुलाधिपित को अन्यथा यह प्रतीत होता है कि कुलपित का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित के लिए हानिकर है तो कुलाधिपित, राज्य सरकार के परामर्श से, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, आदेश द्वारा, कुलपित को हटा सकेगा:

परन्तु कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, ऐसा आदेश करने से पूर्व जांच लिम्बत रहने के दौरान, कुलपति को किसी भी समय निलंबित कर सकेगा:

परन्तु यह और कि कुलाधिपित द्वारा कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि कुलपित को उसके विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो।

- (2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी जांच के लंबित रहने के दौरान या उसको ध्यान में रखते हुए कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, यह आदेश दे सकेगा कि अगले आदेश तक-
 - (क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कृत्यों का पालन करने से विरत रहेगा, किन्तु वह उन परिलब्धियों को प्राप्त करता रहेगा जिनका वह अन्यथा हकदार था;
 - (ख) कुलपति के पद के कृत्यों का पालन आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।"।

अनुसूची (धारा 3 देखिए)

क्र.सं.	शीर्षक	अधिनियम सं.	उपबंध का	नये उपबंध
			सं.	का सं.
1	2	3	4	5
1	राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम,		धारा 12	धारा 12क
	1946			
2	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय	1962 का अधिनियम	धारा 11	धारा ११क
	अधिनियम, 1962	सं. 17		

_				1
3	मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय	1962 का अधिनियम	धारा 11	धारा 11क
	अधिनियम, 1962	सं. 18		
4	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,	1987 का अधिनियम	धारा 8	धारा 8क
	कोटा अधिनियम, 1987	सं. 35		
5	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय	1987 का अधिनियम	धारा 19	धारा १९क
	अधिनियम, 1987	सं. 38		
6	महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय,	2003 का अधिनियम	धारा 11	धारा ११क
	बीकानेर अधिनियम, 2003	सं. 13		
7	कोटा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003	2003 का अधिनियम	धारा 11	धारा ११क
		सं. 14		
8	राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय,	2012 का अधिनियम	धारा 11	धारा ११क
	अलवर अधिनियम, 2012	सं. 27		
9	महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय,	2012 का अधिनियम	धारा 11	धारा ११क
	भरतपुर अधिनियम, 2012	सं. 28		
10	पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी	2012 का अधिनियम	धारा 11	धारा ११क
	विश्वविद्यालय, सीकर अधिनियम, 2012	सं. 29		
11	गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय,	2012 का अधिनियम	धारा 11	धारा ११क
	बांसवाड़ा अधिनियम, 2012	सं. 31		

महावीर प्रसाद शर्मा,

प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT (GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, August 14, 2019

No. F. 2(13)Vidhi/2/2019. In pursuance of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Vishwavidyalayon Kee Vidhiyan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2019 (2019 Ka Adhiniyam Sankhyank 17):-

(Authorised English Translation) THE UNIVERSITIES' LAWS (AMENDMENT) ACT, 2019 (Act No. 17 of 2019)

(Received the assent of the Governor on the 14th day of August, 2019)

An Act

further to amend the Universities' Laws.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventieth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Universities' Laws (Amendment) Act, 2019.

- (2) It shall come into force at once.
- 2. Definitions.- In this Act, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "University Law" means a University Act specified in the Schedule; and
 - (b) "Schedule" means the Schedule to this Act.
- **3. Amendment of Universities' Laws.-** (i) The existing sub-section (2) of the section as mentioned in Column No. 4 against each of the Universities' Laws as mentioned in Column No. 2 of the Schedule, shall be substituted by the following, namely:-
- "(2) No person shall be eligible to be appointed as Vice-Chancellor unless he is, a distinguished academician having a minimum of ten years experience as Professor in a University or college or ten years experience in an equivalent position in a reputed research and/or academic administrative organization and, of highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment."; and
- (ii) after the existing section as mentioned in Column No. 4 against each of the Universities' Laws as mentioned in Column No. 2 of the Schedule, new section as mentioned in Column No. 5 shall be inserted, namely:-

"Removal of Vice-Chancellor.- (1) Notwithstanding anything contained in the Act, if at any time on the report of the State Government or otherwise, in the opinion of the Chancellor, the Vice-Chancellor wilfully omits or refuses to carry out the provisions of this Act or abuses the powers vested in him, or if otherwise appears to the Chancellor that the continuance of the Vice-Chancellor in office is detrimental to the interest of the University, the Chancellor may, in consultation with the State Government, after making such inquiry as he deems proper, by order, remove the Vice-Chancellor:

Provided that the Chancellor may, in consultation with the State Government, at any time before making such order, place the Vice-Chancellor under suspension, pending enquiry:

Provided further that no order shall be made by the Chancellor unless the Vice-Chancellor has been given a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken against him.

- (2) During the pendency or in contemplation, of any inquiry referred to in sub-section (1) the Chancellor may, in consultation with the State Government, order that till further order-
 - (a) such Vice-Chancellor shall refrain from performing the functions of the office of the Vice-Chancellor, but shall continue to get the emoluments to which he was otherwise entitled;
 - (b) the functions of the office of the Vice-Chancellor shall be performed by the person specified in the order.".

SCHEDULE (See section 3)

S.	Title	Act No.	No. of	No. of New
No.			Provision	Provision
1	2	3	4	5
1	The University of Rajasthan Act, 1946		section 12	section 12 A
2	The Jai Narain Vyas University Act, 1962	Act No. 17 of 1962	section 11	section 11 A
3	The Mohan Lal Sukhadia University Act, 1962	Act No. 18 of 1962	section 11	section 11 A
4	The Vardhman Mahaveer Open University, Kota Act, 1987	Act No. 35 of 1987	section 8	section 8 A
5	The Maharshi Dayanand Saraswati University Act, 1987	Act No. 38 of 1987	section 19	section 19 A
6	The Maharaja Ganga Singh University, Bikaner Act, 2003	Act No. 13 of 2003	section 11	section 11 A
7	The University of Kota Act, 2003	Act No. 14 of 2003	section 11	section 11 A
8	The Raj Rishi Bhartrihari Matsya University, Alwar Act, 2012	Act No. 27 of 2012	section 11	section 11 A
9	The Maharaja Surajmal Brij University, Bharatpur Act, 2012	Act No. 28 of 2012	section 11	section 11 A
10	The Pandit Deendyal Upadhyaya Shekhawati University, Sikar Act, 2012	Act No. 29 of 2012	section 11	section 11 A
11	The Govind Guru Tribal University, Banswara Act, 2012	Act No. 31 of 2012	section 11	section 11 A

महावीर प्रसाद शर्मा,
Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।